

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0/खण्ड पीठ/ /2023 दि0 लखनऊ: जनवरी, 19, 2023

-:संशोधित आदेश:-

मुख्यालय के आदेशांक 134/2023 दिनांक 18/01/2023 के द्वारा दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 03.02.2023 तक फैजाबाद में युगल पीठ के वादों के सुनवाई हेतु खण्डपीठ सदस्य पीठ गोरखपुर व सदस्य पीठ-1 वाराणसी की गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 35/2023 दिनांक 19.01.2023 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 01.02.2023 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चेयरपर्सन स्थायी लोक अदालत के पद हेतु साक्षातकार है जिस कारण दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 03.02.2023 के स्थान पर दिनांक 02.02.2023 से 04.02.2023 तक खण्ड पीठ नियत करने की प्रार्थना की गयी है।

अतः सदस्य, पीठ-1 वाराणसी के पत्र में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए फैजाबाद में नियत युगल पीठ दिनांक 01.02.2023 से 03.02.2023 के स्थान पर दिनांक 02.02.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक के लिए गठित की जाती है।

पूर्व निर्गत आदेशांक 134/2023 दिनांक 18.01.2023 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/19.01.2023

(अरविन्द मलिक)

: एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 150 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 वाराणसी/ पीठ- गोरखपुर व फैजाबाद।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।